प्रेस नोट ***23/03/2025***

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 05 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 43 मामलों में से 12 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 23.03.2025 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 43 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 12 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 05 दंपति रेनू/दिनेश, रेशू/हरेंद्र, रणधीर/जैकी, निर्मला/सिकंदर, रीता/पूजा आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 03 मामले में एफआईआर तथा 04 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी । अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 06.04.2025 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिश, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0आ0 पुनम पाल उपस्थित रही।

30 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 22/23.03.2025 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगणों के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये गये व्यापक अभियान में जनपद के समस्त थानों द्वारा कुल 30 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है- थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त जवाहीर पुत्र स्वर्गीय पुरुषोत्तम निवासी अब्दुलपुर थाना चिरैयाकोट, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त रामसिंगार पुत्र रघुनन्दन, मोहन पुत्र श्याम निवासीगण सरवां थाना सरायलखन्सी, जकी अनवर पुत्र अजीजुलहसन निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना घोसी पुलिस द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्त गाजर पुत्र जगन, रामलखन पुत्र नायक, शिवजी चौहान पुत्र स्व0 शिवपुजन, सोम्मर चौहान पुत्र स्व0 राजपत निवासीगण सरायसादी थाना घोसी, राधेश्याम सोनकर पुत्र शिवनाथ निवासी मिर्जाजमालपुर थाना घोसी, नन्दु पुत्र फागू निवासी कादीपुरा थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त प्रभुचन्द्र पुत्र झिल्लू निवासी लैरोगेरुवार थाना कोपागंज, अरविन्द पुत्र श्रीकिशुन निवासी अदरी थाना कोपागंज, संजय पुत्र बलिराम यादव निवासी केवलापुर थाना कोपागंजस, थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त खैरुल बसर पुत्र स्व0 हुसैन निवासी हैदरपुर थाना कोतवाली नगर, बालदास पुजारी पुत्र जगदयाल दूबे निवासी मुंशीपुरा थाना कोतावाली नगर, ब्रम्हानन्द यादव निवासी भीटी थाना कोतवाली नगर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त आशीष सोम्मर पुत्र खैराटी थाना मुहम्मदाबाद, स्वतन्त्र पुत्र अशोक कुमार निवासी गोलवारटोला थाना मुहम्मदाबाद, चन्द्रजीत राजभर पुत्र कौडीराजभर निवासी इटौरा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अवधू पुत्र खुरचुन सरोज निवासी भटडीचक भटडी थाना रानीपुर तथा थाना मधुबन पुलिस द्वारा 10 वारण्टी अभियुक्त अशोक चौरसिया पुत्र गंगा चौरसिया निवासी मधुबन, पिन्टू पुत्र रमाशंकर निवासी छपरा धूसर थाना मधुबन, शिवनाथ पुत्र स्व0 पतिराज निवासी दरगाह थाना मधुबन,

खरभान पुत्र मुन्नीलाल निवासी धर्मपुर विशुनपुर थाना मधुबन, उमाशंकर तिवारी पुत्र देवनन्दन तिवारी निवासी नेवादा गोपालपुर थाना मधुबन, राम नगीना पुत्र रामसेवक निवासी गजियापुर थाना मधुबन, असहद पुत्र मुस्लिम शाह निवासी तिघरा थाना मधुबन, विजई हरिजन पुत्र मूरत निवासी खैरादेवारा थाना मधुबन, रामसमुझ यादव उर्फ मल्लू पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी लक्ष्मीपुर थाना मधुबन, बाजीलाल मौर्य पुत्र रामरूप मौर्या निवासी विग्रहपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की एक मोबाइल फोन के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर डाडी चट्टी के पास से मु0अ0सं0 26/25 धारा 304, 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त आकाश पुत्र श्यामनरायण निवासी दगौली मठिया थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पांती रोड के पास से अभियुक्त रामप्रवेश चौहान पुत्र रामअवध चौहान निवासी ग्राम नरपतपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल होण्डा साइन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 317(2), 317(5), 318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद दोपहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

साथ ही साथ थाना मधुबन पुलिस द्वारा गजियापुर चट्टी के पास से मु0अ0सं0 94/25 धारा 74, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र मैनेजर राजभर निवासी ग्राम लौवासाथ थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।